राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग

20/198, कावेरी पथ, के. एल. सैनी, स्टेडियम, सेक्टर–2, मानसरोवर, जयपुर।
फोन नं. 0141–2399335, 2399336 ई–मेल आई.डी. ccosjerajasthan@gmail.com

क्रमांकः– एफ 20 ( )( )बा.अ.वि./आईसीपीएस/2017/40377 जयपुर, दिनांक 5/1/18

विज्ञप्ति

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं समेकित बाल संरक्षण योजना के प्रचार–प्रसार एवं बाल देखरेख संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु योग्य व्यक्तियों/स्वयं सेवी संस्थाओं/सामाजिक कार्यकर्ताओं/बाल संरक्षण विशेषज्ञों से निःशुल्क सेवाएं अथवा स्वयंसेवक के रूप में विभाग से जुड़ने हेतु **दिनांक 20.01.2018 तक** आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

अधिक जानकारी एवं अपडेट विभागीय वेबसाइट sje.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

(जे. सी. देसाई)
आयुक्त एवं शासन सचिव

राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग

20/198, कावेरी पथ, के. एल. सैनी, स्टेडियम, सेक्टर–2, मानसरोवर, जयपुर।
फोन नं. 0141–2399335, 2399336 ई–मेल आई.डी. ccosjerajasthan@gmail.com

क्रमांकः– एफ 20 ( )( )बा.अ.वि./आईसीपीएस/2017/ 40381 जयपुर, दिनांकः 5/1/18

विस्तृत विज्ञप्ति

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं समेकित बाल संरक्षण योजना के प्रचार–प्रसार एवं बाल देखरेख संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु योग्य व्यक्तियों/स्वयं सेवी संस्थाओं/सामाजिक कार्यकर्ताओं/बाल संरक्षण विशेषज्ञों से निःशुल्क सेवाएं अथवा स्वयंसेवक के रूप में विभाग से जुड़ने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

विभाग में बतौर प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता/योग्य व्यक्ति/बाल संरक्षण विशेषज्ञ की निम्न अहर्ताएं होनी आवश्यक है:–

1. सामाजिक कार्य/समाजशास्त्र/मनोविज्ञान/मानव विकास में स्नातकोत्तर योग्यताधारी।
2. सामाजिक एवं बाल कल्याण/बाल संरक्षण के क्षेत्र में 05 वर्ष के कार्य का अनुभव।
3. विभाग के साथ निर्धारित कार्यो के सम्पादन हेतु निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध कराने की इच्छाशक्ति।
4. बालकों के शोषण/दुर्व्यवहार/उपेक्षा/प्रताड़ित किये जाने संबंधी अपराध में आरोपित या दोषसिद्व ना हो।

अतः इच्छुक व्यक्ति/संस्था अपना आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट **sje.rajasthan.gov.in**/जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के जिला कार्यालय से प्राप्त कर निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र विभागीय ई–मेल **ccosjerajsthan@gmail.com** या डाक या व्यक्तिगत रूप से निदेशालय बाल अधिकारिता विभाग, 20/198, कावेरी पथ, के. एल. सैनी, स्टेडियम, सेक्टर–2, मानसरोवर, जयपुर में दिनांक 20 जनवरी 2018 तक प्राप्त किये जायेंगे।

(जे. सी. देसाई)
आयुक्त एवं शासन सचिव

आवेदन पत्र

निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव,
बाल अधिकारिता विभाग,
20/198, कावेरी पथ, सेक्टर–2, मानसरोवर,
जयपुर।

नवीनतम पासपोर्ट फोटो चिपकाएं

विषयः– विभागीय योजनाओं/कार्यक्रमों में सहयोग हेतु सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सेवा प्रदान करने हेतु आवेदन बाबत।

1.	आवेदक का नाम	
2.	पिता का नाम	
3.	माता का नाम	
4.	जन्म तिथि	
5.	स्थायी निवास पता	
6.	वर्तमान पता	
7.	वर्तमान व्यवसाय का विवरण	
8.	मोबाइल नम्बर	
9.	ई–मेल	

10. शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

कक्षा/डिग्री	वर्ष	बोर्ड/विश्वविद्यालय	प्राप्तांक प्रतिशत
10वीं			
12वीं			
स्नातक			
स्नातकोत्तर (सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र,मनोविज्ञान आदि में)			

11.	बाल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यो का विवरण (प्रमाण पत्रों सहित)	
12.	क्या आवेदक किसी अनैतिक कार्य अथवा बाल उत्पीडन के कार्य अथवा बाल श्रमिक के नियोजन अथवा मानवाधिकार के उल्लंधन के मामले में अंर्तवलित है/रहा है, यदि हां तो उल्लेखनीय करें।	
13.	क्या आवेदक न्यायालय द्वारा विगत में दोष सिद्ध हो चुका है, यदि हां तो पूर्ण विवरण देवें।	
14.	क्या आवेदक के विरूद्ध वर्तमान में कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा पुलिस के पास दर्ज है, यदि हां तो पूर्ण विवरण देवें।	
15.	पुलिस सत्यापन रिपोर्ट संलग्न हैं अथवा नहीं।	
16.	अन्य (जो आवेदक उल्लेखित करना चाहता है)	

स्थानः–
दिनांकः–

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं..पिता /पति का नाम..................................निवास स्थान.................... ....घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई उक्त जानकारी एवं सूचनाएं सत्य है तथा उक्त सूचना में मेरे द्वारा कुछ भी छुपाया नहीं गया है। मेरे विरूद्व किसी भी प्रकार का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन नहीं है/पुलिस थाने में दर्ज नहीं है।

बाल अधिकारिता विभाग के द्वारा बाल संरक्षण एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों में अपनी सेवाएं निःशुल्क देने हेतु सहमत हूं तथा इस कार्य हेतु मैं विभाग से कोई पारिश्रमिक/मानदेय की मांग नहीं करूंगा।

आवेदक के हस्ताक्षर